न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट धीरोडा)

वाद संख्या :– 02 / 334 / 2015

मेघसिंह बनाम बिरदीचन्द
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 29.05.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट धीरोडा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 23.10.2007 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 323 / 0.09, 370 / 0.10, 400 / 0.14, 325 / 0.15, 368 / 0.04, 379 / 0.09, 402 / 0.15, 318 / 0.08, 319 / 0.05, 409 / 0. 14, 41. / 0.09, 323 / 0.23, 407 / 0.13, 324 / 0.02 है. वाके ग्राम दामोदर का बास तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 10.12.2007 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी चाह खसरा नम्बर 324 / 0.02 से प्रार्थीगण को उसके हिस्से 2 / 5 से जबरन बेदखल न करें व उपयोग व उपभोग में रूकावट मजाहमत न करें तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 21.01.2008 को जवाब पेश किया गया। उसके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों को अस्वीकार किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 2007 से प्रभावी चल रहा है जिसे करीब 11 वर्ष का समय हो गया है इसलिए प्रकरण में पूर्व टी.आई. आदेश दिनांक 23.10.2007 को ताफैसला दावा स्थाई किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 323 / 0. 09, 370 / 0.10, 400 / 0.14, 325 / 0.15, 368 / 0.04, 379 / 0.09, 402 / 0.15, 318 / 0.08, 319 / 0.05, 409 / 0.14, 41. / 0.09, 323 / 0.23, 407 / 0.13, 324 / 0.02 है. वाके ग्राम दामोदर का बास तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 23.10.2007 ताफैसला दावा स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 कैम्प कोर्ट धीरोडा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट धीरोडा)